न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 14 (4) एल.आर.: 01/2018
दायर दिनांकः 28.05.2018
निर्णय दिनांक 20.01.2020

—:अनवानः—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेट

————प्रार्थी

—:बनामः—

1. श्री सोला पिता भूरा बुनकर निवासी कोटडी तहसील आमेट जिला राजसमन्द

————अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्त करने अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970</u>

उपस्थितः—
1— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री आर.एल. रावत अधिवक्ता अप्रार्थी

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, आमेट के द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी के इस न्यायालय में दिनांक 28.05.2018 को एक प्रार्थना पत्र नियम 14(4) अन्तर्गत राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 के नियम 20 के अर्न्तगत तहसील आमेट के ग्राम कोटडी के राजकीय भुमि के खसरा सं0 201 रकबा 0.5000 किस्म बंजड भूमि का आंवटन परामर्शदात्री समिति की राहमति से दिनांक 19.06.86 के तहत कोटडी निवासी सोला पिता भूरा बुनकर को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन आदेश क्रमांक 512/86 दिनांक 14.02.1987 से किया गया था। आंवटन आदेश की पालना में शर्तो के तहत आंवटन होने से जमाबन्दी संवत् 2042 से 2045 में सरकारी भूमि के गैर खाता सं0 1 में दर्ज ख0न0 201 के आगे नामान्तरण सं0 55 का अमल दरामद हुआ तथा गैर खातेदार दर्ज हुआ। राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) आवन्टी को प्रथम वर्ष में भूमि कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पडेगा और शेष क्षैत्र को दुसरे वर्ष में जोतने की शर्त हैं। संवत 2042 से 2045, 2046 से 2049, 2054 से 57, दिनांक 2058 से 61 की संलग्न खसरा गिरदावरी की रिपोर्ट आवन्टी ने आवन्टित भूमि के क्षैत्र पर काश्त नही की तथा न ही अच्छी तरह उपयोग किया हैं। आवंटी द्वारा आंवटन वर्ष 1986 के पश्चात यानि 30 वर्ष से अधिक समय में मौके पर काश्त करना साबित नही होता है। मौका देखने पर भूमि नाकाबिल काश्त व पहाडीनुमा, ढालू, बंझड व पथरीली हैं। जो काश्त करने

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

योग्य नही है। अतः शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन होने से गैरखातेदार व आवन्टी सोला पिता भुरा बुनकर निवासी कोटडी के आंवटित भूमि के वर्तमान खसरा नं0 672/201 रकबा 0.5000 हैक्टेयर को नियमानुसार आंवटन रदद् करवाने की कृपा करावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया कि आवंटन की गयी भूमि राजस्व ग्राम कोटडी तहसील आमेट के खसरा सं0 201 रकबा 0.5000 किस्म बंजड भूमि का आंवटन परामर्शदात्री समिति की सहमति से दिनांक 19.06.86 के तहत कोटडी निवासी सोला पिता भूरा बुनकर को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी हैं जिसके सम्बंध में नामान्तरण संख्या 55 दर्ज कर गैर खातेदारी में अंकन किया गया। लेकिन आवंटी द्वारा आंवटन वर्ष 1986 के पश्चात यानि 30 वर्ष से अधिक समय में मौके पर काश्त नही किया है। जो आवंटन की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन हैं। अतः अप्रार्थी का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अधिवक्ता अप्रार्थी के द्वारा बहस में बताया कि प्रार्थी अनुसुचित जाति का होकर गरीब कास्तकार भूमिहिन होने से आंवटित की गई हैं। भूमि विधि अनुरूप प्रक्रिया अपनाकर प्रार्थी के नाम आवंटित की गई। विपक्षी मौके पर काबिज होकर कास्त करता आया हैं। अप्रार्थी ने स्वयं की मेहनत व लागत लगाकर भूमि समतल कर मौके पर फसल कास्त करता आया हैं। तथा मौके पर हक बंदी के लिए पत्थर का कच्चा कोट भी निर्माण कर रखा हैं। अप्रार्थी ने आंवटन की शर्तो का पूर्ण रूप से पालन किया हैं, एवं भूमि में सुधार किया हैं। और अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को उक्त भूमि को गैर खातेदार से खातेदारी में दर्ज कराने हेतु निवेदन किया तो प्रार्थी द्वारा मन मकसूद तरीके से मौका पर्चा तैयार कर गलत रिपोर्ट के आधार पर झूठा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया हैं।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, आमेट के द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 19.06.1986 को उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा ग्राम कोटडी तहसील आमेट में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी भूमि आराजी नम्बर 201 रकबा 0.5000 हैक्टर किस्म बंजड भूमि का आंवटन को इस आधार पर निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि आवंटी द्वारा आंवटन वर्ष 1986 के पश्चात यानि 30 वर्ष से अधिक समय में मौके पर काश्त नही किया गया है। जो आवंटन की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन हैं। तथा तहसीलदार, आमेट द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट पत्र दिनांक 10.05.2018 के साथ वादग्रस्त भूमि का अपीलांट की मौजुदगी मे दिनांक 04.04.2018 को की गयी मौके की जांच मे यह स्पष्ट तथ्य अंकित किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर नाकाबिल काश्त, पहाडीनुमा, ढालू, बंझड व पथरीली हैं। और आंवटन के बाद इस भूमि के किसी भी वर्ष में कोई काश्त नही की हैं। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी को पुछने पर उसने बताया कि आवंटित भूमि पर कभी काश्त नही की हैं। केवल मवेशी/पशुओं को चराने के काम में ही इस भूमि का उपयोग किया हैं। ऐसी स्थिति में मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हुॅ कि अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित वादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद के द्वारा दिनांकः 19.06.1986 को सोला पिता भूरा बुनकर को मिसल संख्या 512/1986 के जरिये आवंटित तहसील आमेट के ग्राम कोटडी पटवार हल्का आगरिया स्थित आराजी नम्बर 672/201 रकबा 0.5000 हैक्टेयर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के आवंटन को खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार आमेट को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज कर, उक्त भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा राजसात किया जावें । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भी उक्त आदेश की प्रति के साथ लौटायी जावें एवं तहसीलदार, आमेट को निर्णय प्रति पालना हेतु प्रेषित की जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 20.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)